For Immediate Release

प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 11/2018)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2018: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अनिवार्य विकल्प के रूप में (i) लैंडलाइन और (ii) मोबाइल सेवाओं के पोस्टपेड उपभोक्ताओं को मुद्रित/प्रिंटेड बिल भेजने के मौजूदा प्रावधान की समीक्षा के संबंध में आज एक परामर्श पत्र जारी किया।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ (46वां संशोधन) आदेश, 2008 के द्वारा सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य विकल्प के रूप में अपने पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बिल की कागजी प्रति निशुल्क मुहैया कराने को अनिवार्य बनाया था। यदि उपभोक्ता कागजी प्रति के बजाय ईमेल द्वारा बिल प्राप्त करने का विकल्प चुनता है तो सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं से स्पष्ट सहमति लेने के बाद ईमेल द्वारा बिल भेज सकता है।

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उनके संगठनों, माननीय सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों, प्रतिष्ठित नागरिकों आदि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अनिवार्य विकल्प के रूप में पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बिल की कागजी प्रति मुहैया कराने की अनिवार्यता को समाप्त करने और पोस्ट पेड उपभोक्ताओं को बिल की मुद्रित प्रति या बिल की कागजी प्रति मुहैया कराने के संबंध में दूरसंचार टैरिफ आदेश (46वें संशोधन द्वारा लाया गया) के प्रावधान की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। बिलों को छापने में इस्तेमाल होने वाले कागज के लिए पेड़ों को कटाई से जुड़ी पर्यावरण संबंधी चिंताओं और स्मार्ट फोन में अधिक डेटा उपयोग के संदर्भ में बदलते मोबाइल उपयोग परिदृश्य को इस मांग का मुख्य आधार बनाया गया था। चूंकि उपभोक्ता इस मसले पर हितधारकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए प्राधिकरण ने इस मामले में सभी हितधारकों की राय, विचार जानने के लिए एक सार्वजनिक पमरामर्श प्रक्रिया शुरू की है ताकि इस महत्वपूर्ण मसले का समाधान करने के लिए एक सम्यक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

4. उपरोक्त के आलोक में, परामर्श पत्र में विषय पर मौजूदा विनियामक/कानूनी प्रावधानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विकल्पों के औचित्य और उपभोक्ता के दृष्टिकोण, संबधित विषय पर अन्य कारकों और इस विषय मे अंतर्राष्ट्रीय मान्य व्यवस्थाओ के अतिरिक्त परामर्श हेतु मुद्दों को सात प्रश्नों के रूप में शामिल किया गया है। इस संबंध में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है:

टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि:	10.12.2018
प्रति–टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि:	24.12.2018

5. परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

6. टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां मुख्यतया इलेक्ट्रॉनिक रूप में advfea1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री कौशल किशोर, सलाहकार (एफएंडईए), भादूविप्रा से टेली./फैक्सः +91-11-23230752 पर संपर्क किया जा सकता है।

15.11.2018

(एस.के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा